



L3

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

Office - 07732 - 252016, 291323, E-mail - dfosouth@rediffmail.com

क्रमांक/स्था0/2011/

पन्ना / दिनांक

प्रति,

जनसूचना

पन्ना जिला पन्ना (म.प्र.)

विषय - श्रीमती मोनी चार्ज की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/स्थापना/166 दिनांक 24.1.2011

--00--

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग गोपाल के परिपत्र क्रमांक/सी-3-13/1/3/2008 दिनांक 09.01.2009 में पूर्व परिपत्र दिनांक 18.8.2008 के कंडिका 2-2 में स्थापित पंक्ति में -

“उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विद्यवा पुत्रवधू जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर साथ रह रही हो, को भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी”

उपरोक्त कंडिका के संबंध में निवेदन है कि शासकीय सेवक स्व. श्री पन्नाताल अहिरवार वनरक्षक की मृत्यु दिनांक 28.2.2009 को हुई एवं मृत्यु के भाग्य प्राप्त करदाता का पुत्र श्री वनश्याम प्रतापवर जीवित थे तथा उन्हें इस कारणावली द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया।

श्री वनश्याम अहिरवार की मृत्यु आरक्षण कार्यवाही की मृत्यु के 4 माह पश्चात दिनांक 27.6.2009 को हुई।

अतः म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग गोपाल के परिपत्र दिनांक 9 जनवरी 2009 के उपरोक्त पंक्ति में उल्लेखित शासकीय कर्मचारियों के मृत्यु के समय आश्रित विधवा पुत्रवधू की अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता है किन्तु श्रीमती मोनी चार्ज शासकीय कर्मचारी स्व. श्री पन्ना ताल अहिरवार की मृत्यु दिनांक 28.2.2009 पर आश्रित नहीं थी। अतएव श्रीमती मोनी चार्ज की अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता के संबंध में मार्गदर्शन दिखे जाने की कृपा करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)
पन्ना / दिनांक 28/1/2011

पुं. क्रमांक/स्था0/2011/531
प्रतिलिपि :-

- मुख्य वनसंरक्षक पन्नापुर जून पन्नापुर की ओर कार्रवाई कर निवेदन है कि शासन के परिपत्र दिनांक 09.01.2009 के उपरोक्त पंक्ति के संबंध में श्रीमती मोनी चार्ज की अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता संबंध मार्गदर्शन दिखे जाने की कृपा की जाए ताकि तदनुसार आगामी कार्यवाही की जा सके।
- श्रीमती मोनी चार्ज वनरी स्व. श्री वनश्याम अहिरवार शासकीय कर्मचारी (कृषक) जिला पन्ना की ओर सुवन्नाथ अहिरवार।

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

Annex - P/3

14



प्रारूप क्रमांक - 8
(नियम-8 देखिए)

मध्य प्रदेश शासन
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

मृत्यु प्रमाण - पत्र
(धारा 12/17 के अधीन जारी किया गया)

पुस्तक क्र. **87568**

अनु क्र. **4378367**

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख जो

(रजिस्ट्रीकरण इकाई का नाम) (स्थानीय क्षेत्र) **ग्राम पंचायत मारकुआ/कुसा**

तहसील **गुनौर** जिला **पन्ना**

राज्य **मध्य प्रदेश** के रजिस्टर से ली गई है।

नाम **पन्ना लाल** पिता/पति का नाम **जगसुरिया उमरवार**

लिंग **पुरुष** मृत्यु दिनांक **28/02/09** मृत्यु स्थान **कुदरा**

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक **22** रजिस्ट्रीकरण दिनांक **24/3/09**



डिप्टी रजिस्ट्रार
उप रजिस्ट्रार/प्रधान सहाय
ग्राम पंचायत मारकुआ (कुदरा)
त.प. गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.)

जीवक क्रमांक **22** दिनांक **4/3/09**

Attestation
वन परिशिष्ट अधिकारी
अमानगंज

ANX-8/4

15



प्ररूप क्रमांक : 6
(नियम-8 देखिए)

मध्य प्रदेश शासन
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

मृत्यु प्रमाण - पत्र
(धारा 12/17 के अधीन जारी किया गया)
4378363

प्ररूपक क्र. 87569

अनु क्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख जो

(रजिस्ट्रीकरण इकाई का नाम) (स्थानीय क्षेत्र) ग्राम पंचायत करकुआ-कुवरा

तहसील अमानगंज जिला पन्ना

राज्य मध्य प्रदेश को रजिस्टर से ली गई है।

नाम दानश्याम पिता/पति का नाम पन्ना लाल

लिंग पुरुष मृत्यु दिनांक 27.6.09 मृत्यु स्थान कुवरा

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 23 रजिस्ट्रीकरण दिनांक 5.7.09



उप रजिस्ट्रार/पिता सचिव
ग्राम पंचायत करकुआ (कुवरा)
ज.प. कुवरा, जिला पन्ना (म.प्र.)

जावक क्रमांक 23 दिनांक 5.7.09

Attested
वन परिक्षण अधिकारी
अमानगंज



कार्यालय ग्राम पंचायत करकुआ-कुदरा जनपद पंचायत
16 Annex-915
गुनौर जिला पन्ना- म.प्र.
परिवार सूची प्रमाण पत्र दिनांक-6-7-0

प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय पन्ना लाल छटहरवार गार
कुदरा की परिवार सूची निम्न है।

1. श्री पन्ना लाल पिता जगसुरिया महिखार मृत्यु दिनांक 28.2.09
की सुखिमा परिवार का
2. मैदा बाई पति पन्ना लाल की मृत्यु दिनांक 10.9.98 की
सुखिमा की पत्नी है
3. दानश्याम 01 पन्ना लाल छटि० पुत्र मृत्यु दिनांक 27-6-09
की अम कुदरा
4. श्री गरी रानी पिता पन्ना लाल पुरी विवाहित उम्र 28
वर्ष
5. नौनी बाई पति दानश्याम छटि० बहू उम्र 28 वर्ष
6. अनुशंगा पिता दानश्याम छटि० नानी उम्र 6 वर्ष
7. धीरेन्द्र कुमार पिता दानश्याम छटि० नानी उम्र 4 वर्ष
8. अभिषेक पिता दानश्याम छटि० नानी उम्र 1 1/2 वर्ष

नोट :- रानी बाई पिता पन्ना लाल की शादी दतारपुर
में हो चुकी है वो अपने पति गंगा राम महिखार के
साथ दतारपुर में निवास करती हैं।

अब प्रमाणित किया जाता है।

Attested
वन पंजीयन अधिकारी
अमानगंज

महोपा
अध्यक्ष
ग्राम पंचायत करकुआ (कुदरा,
प.प. गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.))

अध्यक्ष
ग्राम पंचायत करकुआ (कुदरा,
प.प. गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.))

ग्रामीण क्षेत्र

ए.पी.एल

(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

परिवार पत्र

(म.प्र. फूडस्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आर्डर 1960 के अन्तर्गत जारी किया गया)

वार्ड क्रमांक 6

खाता क्रमांक 56

1. परिवार के मुखिया का पूरा नाम पन्नालाल अठिनवार
पिता/पति का नाम
2. वार्ड क्रमांक मोहल्ला घर क्रमांक 15
3. वर्तमान पता ग्राम विकासखण्ड तहसील जिला पन्ना
गरीबी रेखा सर्वसूची 2006 (बी.पी.एल. सर्वेक्षण 2002-03) में क्रमांक
वार्ड क्रमांक
5. व्यवसाय मासिक आय
6. कार्यस्थल का पता
7. गैस कनेक्शनधारी का नाम उप क
कम्पनी एजेन्सी
8. परिवार के सदस्यों की कुल संख्या पुरुष महिला 1
9. शा.उ.मू.दुकान क्रमांक
10. दुकान का नाम वा पता
11. हस्ताक्षर मुखिया
12. हस्ताक्षर दुकानदार

रेशनकार्ड तैयार करने वाले का नाम एवं हस्ताक्षर

वन परिक्षेत्र अधिकारी
अमानसगढ़

जमीन संपादन अधिकारी
के हस्ताक्षर व सील

परिवार में सम्मिलित सदस्यों का विवरण



क्रमांक	नाम	उम्र	मुखिया से सदस्य का रिस्ता
1	श्री पत्नी धन अहिस्वार	50	स्वयं
2	श्री धनश्याम अहिस्वार	28	पुत्र
3	श्री मति नोनी दाई	24	पुत्र
4	श्रीरु	5	पुत्र
5	श्रीरु	3	पुत्र
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

कुल 5 (पुरुष) 4 (महिला) /

घोषणा पत्र

मैं श्री पत्नी धन पिता/पति श्री धनश्याम अहिस्वार घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दर्शाये गये व्यक्ति मेरे साथ ही सम्मिलित परिवार में रहते हैं और इनमें से किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी परिवार-पत्र (राशनकार्ड) में कहीं भी दर्ज नहीं है। मैं इसके लिये पूर्णरूपेण जिम्मेदार हूँ।

हस्ताक्षर मुखिया

(9)

ANV-8/7

न्यायालय कलेक्टर, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश)

प्रकरण क्रमांक / 39 / अ-88 /

2007-2008



उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

तहसीलदार अमानगंज के द्वारा प्रकरण क्रमांक 3178/वी-121/08-09 प्रतिवेदन दिनांक 03.8.2009, तथा अनुविभागीय अधिकारी गुनौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 425/वी-121/08-09 में प्रतिवेदन दिनांक 10.8.2009 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मृतक पन्ना लाल तनय जगसुरिया अहिरवार निवासी ग्राम झरकुर्वा (कुदरा) तहसील अमानगंज जिला पन्ना कार्यालय वन मण्डलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल पन्ना अन्तर्गत वन परिक्षेत्र अमानगंज में वन-रक्षक के पद पर पदस्थ थे, तथा सेवाकाल के दौरान दिनांक 28.02.2009 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक की पत्नी मैदाबाई एवं पुत्र धनश्याम अहिरवार का भी स्वर्गवास हो चुका है, तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों के शिजरा खानदान के अनुसार मृतक के वैध वारिस निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नाम	संबंध	उम्र
1.	श्री मती रानी	पुत्री	28 वर्ष (विवाहित)
2.	श्रीमती नोनीबाई देवा धनश्याम	पुत्रवधु	28 वर्ष
3.	अनुराग पुत्र धनश्याम	पौत्र (पत्नी)	08 वर्ष
4.	धीरेन्द्र पुत्र धनश्याम	पौत्र (पत्नी)	04 वर्ष
5.	अभिषेक उर्फ नीरज पुत्र धनश्याम	पौत्र (पत्नी)	01 वर्ष

अतएव म0प्र0कोष संहिता भाग-एक के सहायक नियम 388 वी सहपठित नियम 387 के तहत मृतक के पेंशन एवं अन्य शासकीय रधत्वों के भुगतान हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

स्थान - पन्ना
दिनांक 26.08.2009


Attested
वन परिक्षेत्र अधिकारी
अमानगंज

कलेक्टर
जिला पन्ना (म0प्र0)
विभागाध्यक्ष (अ0प्र0)





20

Annex - p18


ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
भारत निर्वाचन आयोग
परचाम पत्र

LRN1069996




Elector's Name	: NONI BAI
निर्वाचक का नाम	: नोनी बाई
Husband's Name	: GHANSHYAM PRASAD
पति का नाम	: घनश्याम प्रसाद
Sex / लिंग	: FEMALE / स्त्री ✓
Age as on 1.1.2003	: 22 Years
1.1.2003 से उम्र	: 22 वर्ष

21
LRH1069955

Address : HMO, 141, GRAM-KUDRA
JHARKUA
TEH. GUNAM, DISTT. PANNA

पता : म.क्र. 141, ग्राम-कुद्रा
झरकुआ
तह.गुनौर, जिला पन्ना


Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 057 - AMANGANJ (SC) Constituency

057 - अमानगंज (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र के
निर्बंधक रजिस्ट्रार अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति

Place : AMANGANJ
स्थान : अमानगंज

Date : 25-10-2003
दिनांक : 25-10-2003

This Card may be used as an Identity Card under
different Government Schemes. 4171463

इस पर को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत
पहचान-पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार ठप्पा / तहसील- अमानगंज
जिला- पन्ना (म.प्र.)

प्र.क्र./ 694/डी-121/वर्ष 2011

दिनांक 22/2/11

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र



प्रमाणित

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पति श्री मोनीचर्हि देवा आत्मज/
जिला पन्ना (म.प्र.) राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के
दिये प्रभावशील रूप दिनांक 28/10/10 में निर्धारित माप दण्ड की वसुलिका क्रमांक 1, 2
की पूर्ति करने के पत्रव्यवस्था मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्रमांक
दिनांक 28/10/10 के अधीन आवेदक द्वारा दिये गये विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी */आवश्यक बच्चे*,
जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।

1. आवेदक की पत्नी का नाम :

मोनीचर्हि देवा आयु 28 वर्ष है

2. आवेदक के आवश्यक पुत्र/पुत्री

(1) मकुडाग आयु 8 वर्ष है

(2) छीरेन्द आयु 6 वर्ष है

(3) आर्जे देव आयु 4 वर्ष है

(4) X आयु X वर्ष है

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति
प्रमाण पत्र की जांच में साथ ही विचारार्थ भाव्य नहीं होगा

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को आधार पत्र माना जायेगा)


हस्ता. तहसीलदार

अमानगंज तहसील
जिला-पन्ना (म.प्र.)

24



नीनीबाई अहिरवार
Naunibai Ahirwar
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1981
महिला / Female



6608 5944 6179

आधार - आम आदमी का अधिकार



पता:
W/O: घनश्याम अहिरवार, ग्राम
कुदरा, पोस्ट झरकुवान, कुदरा,
झरकुवान, पन्ना, मध्य प्रदेश,
488441

Address:
W/O: Ghanshyam Ahirwar, gram
kudra, post jharkuwan, Kudra,
Jharkuwan, Panna, Madhya
Pradesh, 488441

6608 5944 6179

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

Welcome to Samagra Family Dashboard

सामान्य जानकारी

जिला: PANNA स्थानीय: Janpad ग्राम पंचायत / JHARKUWA ग्राम / वॉर्ड: KUDARA
 समग्र परिवार आईडी: 12404178 मुखिया का नाम: natuni bai परिवार की श्रेणी: SC सदस्यों की संख्या: 5



परिवार के पते संबंधित जानकारी

गणना ब्लॉक --N/A-- मकान नंबर: 67/0/0 पता: Kudra पिन नंबर: 488441
 परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी है: हाँ यदि नहीं है तो वर्तमान पते पर किस वर्ष से निवास कर रहा है:

जाति संबंधित जानकारी

जाति SC जाति नहीं है विमुक्त एवं धर्म: हिन्दू ST-PTG: नहीं है अल्पसंख्यक वर्ग से है: नहीं है
 जाति कोड: नहीं है धर्म: हिन्दू ST-PTG: नहीं है अल्पसंख्यक वर्ग से है: नहीं है
 कार्ड का प्रकार: NA वीपीएल सर्वे नंबर: NA कार्ड नंबर: NA जारी दिनांक: NA

राशन का विवरण

राशन की दुकान: पात्रता श्रेणी: -- किसी भी श्रेणी में पात्र नहीं

अन्य जानकारी

परिवार के सदस्यों की जानकारी

क्रमांक	समग्र सदस्य आईडी	सदस्य का नाम	उम्र	लिंग	वैवाहिक स्थिति	मुखिया से संबंध	मृतदाता सूची क्रमांक	पेंशन की जानकारी	PwD
1	190454233	NAUNI BAI AHIRWAR	38	Female	Married	Self	NA	NA	NA
2	190455345	GHANSHAYAM AHIRWAR	40	Male	Married	Husband	NA	NA	NA
3	190457215	ANURAG AHIRWAR	15	Male	Unmarried	Son	NA	NA	NA
4	190457950	VEERENDRA AHIRWAR	10	Male	Unmarried	Son	NA	NA	NA
5	190458939	ABHISHEK AHIRWAR	7	Male	Unmarried	Son	NA	NA	NA

9/2

2

द्वारा कक्षा के सभी छात्रों को प्रशिक्षण प्राप्त अंकों का विवरण निम्नानुसार है -

भक्त सङ्गी-सङ्घ-प्रमाण-पत्र (पूर्व मासिक रत्न)

1.2

मैत्राणि विप्रदा

[illegible]

अथवा 7. 30 राजनैतिक विज्ञान विषय में वार्षिक परीक्षा के कुल पूर्णांक में से 10 अंक प्रवेशक कार्य हेतु होंगे।

★ ★ ★ यह भी कि वैदिक परीक्षण करना शक्ति परीक्षा के प्राक्तकों के आश्रम पर पैदा किया जाए। शेष कथनों में अर्द्धजातिका परीक्षा के
★ ★ ★ इसी प्रकार कि वैदिक परीक्षण करने वाले शक्ति परीक्षा के प्राक्तकों के आश्रम पर पैदा किया जाए। शेष कथनों में अर्द्धजातिका परीक्षा के

12-1

निर्वाचन क्षेत्र

पूँछ का खतरा

→ २.

एक के बाद अशिक्षित

* ऐतिहासिक चित्रों की परीक्षा का भी खतरा % २.....

बैंड में उलझने वाले लोग

कक्षा 12 के छात्रों के लिए

पुणे जिल्हा न्यायालय

असंगानाकक संमो का भूताना

कोश	शेष	
	अनुपातिक परीक्षा	वास्तविक परीक्षा
भुला विद्या	B	A
जीवन संसार	D	A
वर्णाश्रम व्यवस्था	C	A

शेड-1. प्रोडक्तात्मक गतिविधियों का अनुपात शेड की

किंयुः जगद्वत् ।

2. अमुककालकर्म क्षमों के मतान्त नृपण होशो, नवीन कोशाल एवं चंद्रका व दुःकर्मजनकजन सवधो नहिनिधियाँ का आगमन शालाओं में नियमित रूप से किया जासगा। ये नहिनिधियाँ वर्ष भर पर्यवर्ती।

***सैद्धांतिक विषयों में ग्रेड निर्धारण-**

[illegible]



समक्ष नोटरी व्यवहार पन्ना जिला पन्ना म. प्र.
MADHYA PRADESH

शमश पत्र

10AA 623450

मैं नोनी बाई के पुत्र धनश्याम अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम झरकुआ कुदरा 8 तहसील जिला पन्ना म. प्र. की हूँ व निम्नलिखित शमश पूर्वक कब्जा करती हूँ कि :-

1. मैं शमश पूर्वक कब्जा करती हूँ कि मेरे ससुर पन्ना लाल लनय जगतुरिया अहिरवार निवासी ग्राम झरकुआ 8 कुदरा 8 तहसील जिला पन्ना म. प्र. की हूँ व निम्नलिखित शमश पूर्वक कब्जा करती हूँ कि :-

2. मैं शमश पूर्वक कब्जा करती हूँ कि मेरे ससुर के पुत्र धनश्याम अहिरवार एक माय पुत्र थे जो दिनांक 27.6.2009 को लम्बी बीमारी के कारण पतित हो गये थे। मेरे स्व. ससुर के परिवार में अब बहुत सारा नोनी बाई के पुत्र धनश्याम अहिरवार एवं पौत्र अनुराग उम्र 8 वर्ष, धीरेन्द्र उम्र 4 वर्ष, अमिष उम्र 1 वर्ष हैं। मैंने इनकी पालन पोषण की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है इसलिए मुझे अपने ससुर पन्ना लाल अहिरवार की जगह पर अनुकम्पा नियुक्त दिया जाना आवश्यक है।

3. मैं शमश पूर्वक कब्जा करती हूँ कि यदि मुझे अनुकम्पा नियुक्त दे दी जाती है तो मैं अन्य कहीं शादी नहीं करूंगी और ना ही कहीं अन्य जगह जाकर अपना घर बसाऊंगी यानि की अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल करते हुए ईमानदारी से नौकरी करूंगी।

नोनी बाई

क्रमशः 2

सिवासी
पन्ना
जिला
मध्य प्रदेश

मे शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मे पुत्राबा स्वयं हूँ तथा मेने कक्षा 8 की तक
परीक्षा देकर उत्तीर्ण किया हुआ है यानि की मे नोकरी करने लायक हूँ ।

मे शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मे स्व. पन्ना लाल अहिरवार की एक मात्र
बहू हूँ मेरे अलावा स्व. पन्ना लाल अहिरवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है ।
इसलिए मे अनुकम्पा नियुक्ति पाने की हकदार हूँ । मेरे छोटे छोटे 3 नाबालिग बच्चे
है यदि मुझे अनुकम्पा नियुक्ति दे दी जाती है तो मे ईमानदारी से समय पर नोकरी
करूंगी, नोकरी करते हुए अपने नाबालिग बच्चों की परिचारिका करते हुए बच्चों को
शिक्षित करूंगी जिसके सम्बन्ध मे यह शपथ पत्र प्रस्तुत है ।

बी नी बाई

दिनांक 29. 9. 09

हस्ता 0

सत्यापन

मे बी नी बाई केका पनड्याम अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम हरकुआ तह 0 व
जिला पन्ना म. प्र. की सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र का घेरा क्र. 1 ता 5 मेरी
निजी जानकारी मे सही व सत्य है ।

दिनांक 29. 9. 09

बी नी बाई

हस्ता 0

Attested

वन परिक्षण अधिकारी
अमानगंज

सिवासी, अधिवक्ता
जिला-पन्ना म. प्र.

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश
MAIDHYA PRADESH

10AA 623449

मैं, श्रीमती रानी पत्नी गंगा राम अहिरवार अग्रे 28 वर्ष निवासी अम्बेडकर काबोनी छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर की हूँ व निम्नलिखित शपथ पत्र को करता हूँ कि :-

1. मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मेरे पिता पन्ना लाल अहिरवार वन रक्षक के रूप में रहते हुए पौत हो गये थे मेरे पिता की एक मात्र 2 सन्तानों भाई वनश्याम अहिरवार व पुत्री श्रीमती रानी ही थे 2 सन्तानों के अलावा पन्ना लाल के कोई भी सन्तान नहीं थी ।

2. मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मेरे भाई वनश्याम अहिरवार की पत्नी हो चुकी है उत्तराधिकारी के रूप में मेरी भाभी श्रीमती नोनी बाई व 3 भा. वा. बच्चे अतुराम 8 वर्ष, धीरेन्द्र 4 वर्ष अम्बेडकर उर्फ नीरज 1 वर्ष ही है यानि की नाबालिग बच्चों की परिवारिक के लिए एक मात्र नोनी बाई ही उत्तराधिकारी है इसलिए मेरे बरि पिता के जो भी फंड, बी. पी. एफ., बीमा, प्रोव्जिडेंट इत्यादि हो सकी या अमान में मेरी भाभी श्रीमती नोनी बाई व नाबालिग बच्चों के जो भी धिया जाये साथ ही मेरी भाभी श्रीमती नोनी बाई को अनुकूल नियुक्ति भी दे दी जाये निम्नो शर्तों में शपथ पत्र दस्तावेज है ।

दिनांक 29.9.19

सत्यापन

मैं रानी पत्नी गंगा राम अहिरवार नि. अम्बेडकर काबोनी छतरपुर की अमान से सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र का पेश रु. 1 या 2 में ही जाना है तभी यह सत्य है ।

दि. 29.9.19

रानी बाई
सत्यापित

सत्यापित
अन पॉस्टल अधिकारी
अमानत

31

Aux-9/11



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

Office - 07732 - 252016, 291323, E-mail - dfosouth@rediffmail.com

क्रमांक/स्थापना/2011/ 900
प्रति,

पन्ना /दिनांक 10/2/2011

✓ श्रीमती नोनों बाई अहिरवार
पुत्रवधू स्व. श्री पन्ना लाल अहिरवार
वनरक्षक
ग्राम-पोष्ट झरकुआ (कुदरा)
जिला पन्ना (म.प्र.)

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी अमानगंज ।
विषय :- प्रार्थना की अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने बावत् ।
संदर्भ :- आवेदन पत्र प्राप्त दिनांक 6.1.2011

--00--

उपरोक्त विषय में लेख है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दिया गया आवेदन पत्र प्राप्त दिनांक 6.1.2011 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है । अतएव शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप संलग्न कर भेजा जा रहा है । आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलमों की पूर्ति कर आवश्यक दस्तावेजों सहित शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि वरिष्ठ को नियमों के परिपेक्ष्य में अवगत कराया जा सके ।

संलग्न :- आवेदन पत्र का प्रारूप ।

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

क्रमांक/स्था/2011/

पन्ना /दिनांक

प्रतिलिपि :-

✓ वन परिक्षेत्राधिकारी अमानगंज की ओर अतिरिक्त प्रति भेजकर लेख है कि संबंधित को प्रति प्रदाय कर संलग्न निर्धारित प्रारूप पूर्ण कराकर आवश्यक अभिलेख के साथ भेजना सुनिश्चित करें ।

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य वनसंरक्षक छतरपुर,
वृत्त छतरपुर (म.प्र.)

विषय :- प्रार्थिया की अनुकंपा नियुक्ति किये जाने बावत् अथवा आर्थिक सहायत दिलाये जाने बावत् ।

गहोदय,

प्रार्थिया बेवा नौनीबाई अहिरवार पत्नी स्व.श्री घनश्याम अहिरवार निवासी ग्राम झरकुआ (कुदरा) तहसील अमानगंज जिला पन्ना म.प्र. का निम्न निवेदन है कि :-

1. यहकि मेरे ससुर स्व.श्री पन्ना लाल अहिरवार कार्यालय वन मंडल दक्षिण वनमंडल परिक्षेत्र अमानगंज में वनरक्षक के पद पर कार्यरत थे । जिनकी सेवाकाल के दौरान उनकी दिनांक 28.08.09 को अकस्मिक मृत्यु हो गई थी । तथा प्रार्थिया के ससुर के मृत्यु पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति बावत् मृतक के पुत्र यानी प्रार्थिया के पति स्व. श्री घनश्याम अहिरवार के लिये कार्यवाही होना था । लेकिन दिनांक 27.06.09 को प्रार्थिया के

मृत्यु पश्चात् पति स्व.श्री घनश्याम की भी मृत्यु हो गई थी ।

अनुकम्पा
5-7-14

यहकि प्रार्थिया के ससुर एवं पति की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थिया बेसहारा हो गई उसके तीन पुत्र अनुराग, अभिषेक, धीरेन्द्र है तथा शासन की मंशानुसार सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके प्रथम श्रेणी के वारिस की अनुकम्पा नियुक्ति होना चाहिये तथा मृतक के पुत्र की मृत्यु होने पर मृतक की बहू अर्थात् प्रार्थिया ही उक्त पद बावत् प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी है । इस कारण उसके ससुर के स्थान पर प्रार्थिया नौनीबाई की अनुकम्पा नियुक्ति किया जाना न्याय प्रक्रिया के अनुरूप होगा ।

3. यहकि प्रार्थिया के पति एवं ससुर की मृत्यु पश्चात् नाबालिग बच्चों का भरण पोषण एवं पढाई लिखाई का भार प्रार्थिया के ऊपर है जो प्रार्थिया वहन नहीं कर पा रही है । इस कारण शासन की मंशानुसार उक्त पद पर नौनीबाई की नियुक्ति की जाये, तथा कार्यालय दक्षिण वन मंडल परिक्षेत्र अमानगंज में प्रार्थिया की योग्यतानुसार किसी भी पद पर नियुक्ति की जावे । यदि वहां पर कोई पद रिक्त न हो तो अन्यत्र किसी भी विभाग में किसी भी पद पर प्रार्थिया अपनी अनुकंपा के रूप में शासकीय सेवा के लिये तैयार है ।

4. यहकि प्रार्थिया पढी लिखी नवयुवती है, जो कार्य करने में सक्षम है, जो भी पद पर प्रार्थिया को कार्य करने के लिये दिया जावेगा, वह पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य को सुचारु रूप से कर शासन के नियम एवं निर्देशों का पालन करेगी ।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थिया की अनुकम्पा नियुक्ति की जाये अथवा भरण पोषण बाबत आर्थिक सहायता राशि दिये जाने की महान कृपा की जाये ।

दिनांक :- 15-7-14

मो नीबाई

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :-

1. भान्नीय वन मंत्री महोदय म.प्र. शासन भोपाल ।
2. वनमंडलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल पन्ना ।

मो नीबाई

हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ ०५३

भोपाल, दिनांक: 15/3/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वदपत्र (ख) दक्षिण पन्ना को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 148/58/2016 द्वारा श्री श्री मोनी बाई विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में शासन की ओर से म.प्र.राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तियों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने लिए एवं कार्य करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी स्थिति में जिसके बारे में नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब विधि विभाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये।

- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अधवा सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कराते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(अज्ञात शासकीय अधिकारी)
सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक: 15/3/2016

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 093

प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल
3. जिलाध्यक्ष पन्ना जिला पन्ना म.प्र.।
4. ~~वन संरक्षक म.प्र. शासन~~ प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर और " उपस्थिति प्रमाण पत्र " प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति/रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
5. ~~वन संरक्षक म.प्र. शासन~~ की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित याचिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सौंपकर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. मुख्य वन संरक्षक जबलपुर वृत्त जबलपुर म.प्र.।
7. म.प्र. शासन (प्रशासन - II) म.प्र. भोपाल की ओर उनकी अशासकीय टीप क्रमांक/01/25 दिनांक 14/03/2016 द्वारा दिये गये प्रस्ताव के संबंध में सूचनार्थ।
8. उप वन संरक्षक न्यायालयीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. रजिस्ट्रार म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0।
10. शासकीय अधिवक्ता म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0।
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालयीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल।


सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग